IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

कामकाजी महिलाएं व महिला पुलिस आरक्षकों के तनाव एवं हताषा का मनोवैज्ञानिक अध्ययन

शोधार्थी रेखा मिश्रा

गृह विज्ञान विभाग

जीवाजी विष्वविद्यालय

ग्वालियर म.प्र.

शोध सार

हमारे देश की आबादी का लगभग आधा भाग महिलाएँ है। संविधान में इन्हे पुरूषों के समान अधिकार दिए है। किन्तु अनेक पूर्वाग्रह और लिगं–भेद के परिणाम स्वरूप अनेक असमानताओ का सामना करना पड़ता है। लगभग सभी कामकाजी महिलाओं को शोषण व हिसा का शिकार होना पड़ता है।

पितृसता ने महिलाओं को उपभोग की वस्तु माना है। पुरूषों ने महिलाओं के जीवन, अनकी योग्यता और उनकी कार्य शैली को निर्धारित करने की चेष्टा की, लेकिन यथार्थ सत्य यह है कि कामकाजी महिलाएँ भी पुरूषो की भांति अपनी अलग पहचान रखती है वह अपने जीवन में उचित चुनाव करने की क्षमता रखती है। शिक्षा के प्रचार व प्रसार से वृहत्तर ग्वालियर मे कामकाजी महिलाओ की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है महिलाएँ नौकरियां करने लगी तथा कामकाजी महिलाओ का एक नया वर्ग उत्पन्न हुआ। जिस समाज में महिला की कमाई को अनुचित समझा जाता था, उसी समाज में कामकाजी महिला की कमाई से घर चलने लगे। पति–पत्नि दोनों कमाते हैं, यह गर्व की बात समझी जाती हैं।

मुख्य बिन्दु– पितृसत्ता, उपभोग, नौकरियां, कामकाजी महिलाओं, निर्धारित, असमानताओं

शोध प्रपत्र

वृहत्तर ग्वालियर में कामकाजी महिलाओं का इतिहास कोई बहुत पुराना नहीं है। यह स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय सविधान में स्वतंत्रता व समानता के सिद्धान्त से प्रभावित होकर महिलाओं में आत्मनिर्भरता के लिए जो नई सोच और नई चेतना पैदा हुई है, यह उसी का परिणाम है। **''महिला शिक्षा में प्रगति हुई उसी ने इस क्षेत्र में लोगों को उत्साहित किया। अच्छे जीवन स्तर की इच्छाओं को बल मिला, यह तो समय की आवश्यकता, परिवार की आवश्यकता, व्यक्तिगत अह्म की तुष्टि, समय व्यतीत करने की भी चाह आदि ऐसे कारण है जो कामकाजी महिलाओं का केन्द्र बिन्दू हैं।''**[1]

वृहत्तर ग्वालियर महिला का बाहरी कार्य क्षेत्र में पदार्पण करना (गाँवो में कृषि सम्बन्धी कार्य छोड़ कर) समाज की दृष्टि में अभी कुछ दशक पहले तक वांछनीय नहीं था। लेकिन स्वतन्त्र भारत में शिक्षा के प्रसार द्वारा वैज्ञानिक सोंच ने उन्हें रुढियों को तोड़ कर आत्म निर्भर बन कर जीने की प्रेरणा दी। फिर कुछ पाश्चात्य प्रभाव ने भी महिलाओं को प्रबुद्ध आत्म चेतना के साथ–साथ विचारो की उन्मुक्तता सौपीं।

इन कारणों में सबसे बढ कर दो कारण ऐसे है, जिन्होंने वास्तविक अर्थो में, वृहत्तर ग्वालियर, कामकाजी महिलाएँ एवं महिला पुलिस आरक्षकों की ग्रामीण और शहरी सोच की दिशा बदली है, और जिसके कारण स्त्री आर्थिक हैसियत में पुरुषो की समानांतर रेखा बन गई। पहला है– दहेज़ के लिए की जाने वाली क्रूरतम हत्याओं की अनवरत श्रृंखलाएं। और दूसरा कारण है– महँगाई की खतरे के निशान से ऊपर पहुँचती बेतहाशा बेलगाम वृद्धि, जिसने सभी वर्गों को प्रभावित किया। विशेष रूप से मध्यम वर्ग की तो आर्थिक रीढ ही तोड़ दी। मूल्यों की अनियमित व अधिक वृद्धि, साथ ही वेतन की असमान्य विषमता से राष्ट्रीय आर्थिक समीकरण की लडखडाहट साफ अनुभव की जा सकती है। **''न्यूनतम वेतन आज 140 रूपये से लेकर अधिकतम 50 हजार प्रति माह तक है। दहेज़ के कारण होने वाली हत्याओं और नारी का विभिन्न स्तर पर जिसमें जघन्य बलात्कार कांड का दिनों दिन बढता ग्राफ भी शामिल है। लगातार बढता शोषण, भेद भाव, कुपोषण, कुपोषणो की समस्याओ ने महिलाओं में गंम्भीर व्याधियों, अकाल मृत्यु, व आत्महत्याओं को आमंत्रण दे रखा है। इसी कारण उनकी औसत आयु का स्तर भी गिर रहा है। वृहत्तर ग्वालियर में 21 विभाग है तथा 14 थाने हैं इन सभी विभागों में महिलाएँ कार्य कर रही है एवं विभिन्न प्रकार से तनाव एवं हताषा में जी रही है।''**[2]

आज महिला वैज्ञानिक, लेखक, पत्रकार, इंज़ीनियर, पुलिस, वकील, प्रोफ़ेसर, व्यवसायी, फैशन डिजाइनर, आर्किटेक्ट जैसे सम्म्मानित क्षेत्रों में हजारों की संख्या में है। यहाँ तक कि भारत की शीर्षस्थ प्रशासनिक सेवाएँ, आई.,ए.एस., पुलिस व पी.सी.एस. में यह संख्या कम नहीं। राजनैतिक परिदृश्य में तो भारतीय महिलाओँ ने विश्व में अपना परचम लहराया है और इतिहास में वे अपना स्थान सदैव के लिए आरक्षित कर चुकी है। कहा जाता है कि महिलाओं के मस्तिष्कीय कोशो का विकास कुछ इस ढंगसे हुआ है,

कि वह भाषा, साहित्य, कला, संगीत जैसे विषयों पर तो मूर्धन्य विद्वता प्राप्त कर सकती है, किन्तु विज्ञान, गणित, और उच्च श्रेणी की टेक्नोलोजी उसकी समझ से परे है, किन्तु इन क्षेत्रों में भी महिलाओ की अच्छी संख्या, और सफल उपस्थिति पुरुषो की इस गर्वोक्ति की निरर्थकता ही सिद्ध करती है।

वस्तुतः इस कथन का सार मात्र इतना ही था, कि महिलायें प्रकृति से सृजन शील व्यक्तित्व के कारण अति संवेदन शील, भावुक व मोहमयी होती है। इसीलिए उनका ह्रदय हमेशा उनके मस्तिष्क पर हावी हो जाता है। किन्तु यह उनका दोष नहीं अपितु गुण ही कहा जायेगा। क्योंकि इसी ममतामयी ह्रदय की वत्सलता के कारण वे उच्चतम शिखर पर पहुँच कर भी, अपनी शक्ति और सामर्थ्य का दुरूपयोग करने से बचती है। क्योंकि नारी सबसे पहले माँ है, फिर और कुछ। महिलाओं की योग्यता को हमारा समाज पुरुष प्रधान होने से सदैव कम ही आंकता है। कुछ शीर्षस्थ अपवादों को छोड़ दे, तो महिलाओ की संख्या पुरुषो के मुकाबले से कही बहुत कम है। विषमताओं के बावजूद स्त्री ने अपने पाँव अंगद की तरह कामकाजी दुनिया में टिका रखे है, जिसे हटा पाना किसी भी पुरुषवादी सोच के लिए असम्भव है। आज नारी अपने दम और अपनी योग्यताओं के बल पर ज़ीत रही है। और जीतती रहेगी।

"कामकाजी महिलाएं व महिला पुलिस आरक्षकों के तनाव एवं हताशा का मुख्य कारण जब घर से बाहर कार्य करती है, तो उन्हें 6 से 10 घंटो तक बाहर रहना पड़ता है। इस अवधि में उनकी गृहव्यवस्था व बच्चों का पालन पोषण शिक्षा–दीक्षा, जो भारत में मात्र गृहणी के हिस्से का ही कार्य माना जाता है, बहुत प्रभावित होता है। काम से वापस आई महिला, इतनी थकी, बोझिल और असहाय होती है कि तुरंत कोई भी अप्रिय स्थिति झेलना, या घरेलू कार्य करना या असावधानियों के लिए उपालम्भ सुनना, उससे संभव नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में परिवार चाहे, संयुक्त हो या एकल, जहाँ सारी अपेक्षायें सिर्फ उसी से रखी जाती है, तनाव बढता ही है। कभी–कभी यह तनाव कलह की उस सीमा तक चला जाता है, जब संयुक्त परिवार, विघटित होकर एकल में और एकल परिवार टूट कर सम्बन्ध विच्छेद की प्रक्रिया में बिखरने लगते है। ऐसी स्थिति में माँ बाप के बीच बढती दूरियाँ बच्चों के भविष्य को अधर में त्रिशंकु सा असहाय छोड़ देती है।"[3]

कामकाजी महिलाएं व महिला पुलिस आरक्षकों के तनाव एवं हताशा परिवार में अपने परिश्रम के उपार्जन को महिला अपने ढंग से खर्च भी नहीं कर सकती। कमाती वह है, पर हिसाब पति के पास होता है। कमाने के अतिरिक्त घर की व पति बच्चों की, सार संभाल भी उसे ही करनी पडती है। मामूली कठिनाइयों में उसे अवकाश के लिए बाध्य किया जाता है। ये सब घर की छोटी–छोटी बातें बाहर उसके काम के स्तर को लगातार प्रभावित करती रहती है, और इससे उसकी कार्य क्षमता भी घटती है।

कामकाजी महिलाएं व महिला पुलिस आरक्षकों के तनाव एवं हताशा का मुख्य कारण बाहर निकलने पर पुरूष सह कर्मियों से परिचय व वार्तालाप भी बेहद सहज और स्वाभाविक है। किन्तु स्वस्थ मानसिकता का पति भी प्रायः ऐसे मौको पर सामान्य नहीं रह पाता। बीमारी मानसिकता के लोग तो बिना किसी तथ्य या दूरदर्शिता के, ही अपनी पत्नी के चरित्र हनन पर उतर आते है। जब घर के लोग ही इज्जत चौराहे पर नीलाम करने की साजिश में लगे हो, तो बाहरी व्यक्ति की व्यंगोक्तियो का प्रतिकार ही कौन करेगा।

"इन सतही सोचों के साथ, कामकाजी महिलायें व महिला पुलिस आरक्षक प्रायः सामंजस्य नहीं कर पाती। कुंठा, अवसाद का अनजाने ही शिकार होने लगती है, इसी तरह की मनोवैज्ञानिक समस्याओं के कारण जब उसकी कार्य क्षमता पर ग्रहण लगता है, तो यही समाज, यही परिवार और सहकर्मी, आदि उसे निकम्मा, कामचोर, और अपने औरत होने का फायदा उठाने वाली, कह कर उसे और भी गहरी उलझनों में फंसा देता है। इस तरह का फतवा जारी करने से पहले कोई भी उसके स्तर पर उसकी समस्या को सहानुभूति पूर्वक समझना भी नही चाहता।"[4]

कामकाजी महिलाएं व महिला पुलिस आरक्षक के साथ आर्थिक भेदभाव विशेषतः कृषि एवं मजदूरी के क्षेत्र में या निजी क्षेत्र में सर्वाधिक होता है। यह समस्या महिला कर्मी की सार्व भौमिक समस्या बन चुकी है। भले ही वह पुरुषो से अधिक लगन व परिश्रम से कार्य करे, लेकिन सुविधावादी होने का उन्हें पक्षपात पूर्ण तर्क देकर, सदा उत्पीड़ित किया जाता है। कृषि कार्यो में महिलाओं की हिस्से दारी बहुत प्राचीन है। चूंकि महिला अपने हितो और अधिकारों के प्रति, खुद निश्चेष्ट, उदासीन, उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाती है, अतः श्रम कानून या अन्य दूसरे प्रयास, महिला संगठनों के नारे, उतने प्रभाव शाली सिद्ध नहीं हो पाते। यह भी एक खुला हुआ तथ्य है, कि आर्थिक स्तर के अतिरिक्त, शारीरिक स्तर पर भी कामकाजी महिलाओं एवं महिला पुलिस आरक्षकों का बहुत क्रूर शोषण होता है। ब्लैक मेलिंग, धमकी लालच या कोई अन्य मज़बूरी उन्हें स्वयं भी कभी कभी ऐसे विषयों में आगे बढने के लिये बाध्य कर देती है। लेकिन तब भी केवल गुनहगार उन्हें ही माना जाता है।

"पुरुष फिर अपने सत्ताधीश होने का फायदा उठाते हुए साफ बच निकलता है। कुछ केन्द्रीय व प्रशासनिक सेवाओं को छोड़ कर, उन्हें प्रसव अवकाश तक नही मिलता, या फिर भुखमरी उन्हें शीघ्र काम पर वापस आने के लिए बाध्य कर देती है। सेवा प्रतिष्ठानों में उनके स्वास्थ्य की देख रेख, जाँच के लिए, प्राथमिक स्तर पर भी सुविधा सुलभ नहीं होती। फलस्वरूप पैसा व इलाज के अभाव में महिला श्रमिक घुट –घुट कर मरने को विवश रहती है।"[5]

कामकाजी महिलाएं व महिला पुलिस आरक्षकों की सबसे अच्छी स्थिति इस समय रूस में है। जहाँ 90 प्रतिशत महिलायें कार्य करती है। अथवा अध्ययन, अनुशीलन की सुविधाओं से युक्त है। कुछ नौकरियाँ विशेषतः एयर होस्टेस, रिशेप्सनिस्ट, सीक्रेटरी आदि महिला अभ्यर्थियों के लिए ही विशेष होने के कारण पर्याप्त विवाद का विषय रही। निजी क्षेत्र की नौकरियाँ पूर्णत मैनेजमेंट कमेटी के अधीन होती है। उनकी मनमानियों की छूट के साथ औरत का औरत होना ही इन सेवाओं में उनकी पदोन्नति की सीढी बन जाता है। उनकी मजबूरियों का यहाँ पूरा फायदा उठाया जाता है, महिलायें भी कभी कभी अपने अनुत्तर दायित्य पूर्ण रवैये, और लापरवाही भरे आचरण से विवाद का विषय बन कर लोंगो को ऊँगली उठाने का मौका देती है। विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में महिला की आकर्षण शक्ति का दुरूपयोग होता है, जैसे क्रिकेट में चीयर्स गर्ल।

वृहत्तर ग्वालियर में बहुत सी कामकाजी महिलाएँ प्राइवेट सेक्टर में कार्य कर रही है। जैसे कम्प्यूटर ऑपरेटर, विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों में सेल्समेन का काम, सब्जी एवं फल बेचना, ब्यूटीपार्लर, मसाज पार्लर, पंचकर्म क्रिया, डिपार्टमेंन्टल स्टोर, जनरल स्टोर, में बहुत सी महिलाएँ कार्य करती है वह तनाव एवं हताषा में जीती है अर्थात् उनकी आमदनी कम और इसके साथ–साथ जिस प्रतिष्ठान में कार्य करती है वहाँ भी उनका वेतन कम होता है।

वृहत्तर ग्वालियर में यदि नारी मुक्ति का बिगुल बजा है तो केवल एक ही सुर में, यानी महिलाओं को घर की चहार दीवारी से बाहर निकलकर कामकाज में संलग्न कर दीजिए और समझ लीजिए। बहुत बड़ा अहसान महिलाओं के ऊपर कर दिया है, किंतु यह प्रश्न हमेशा रहेगा कि क्या सचमुच महिलाओं के घर से निकलने तथा कामकाजी होने मात्र से उनकी समस्याओं का निदान हो जाएगा तथा कुछ सीमा तक शोषण से मुक्त हो जाएँगी। आजादी के बाद नारी शिक्षा की स्थिति में सुधार के कारण उच्च मध्यवर्गीय के साथ–साथ आम शहरी मध्यवर्गीय परिवारों की नारियाँ भी शिक्षित हुई और उन्होंने अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की।

कई कामकाजी महिलाओं ने उसमें सफलता भी प्राप्त की, लेकिन पितृवादी सोच हमेशा उनके आड़े आती है, जो उनकी परेशानियों का कारण बनती है। घर के बाहर की समस्या ऑफिस में अभी भी पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कम। फलतः वे पूरी तरह से सहज नहीं हो पाती हैं।

अनेक अध्ययनों से यह प्रमाणित होता है कि कार्यरत महिलाओ के सामने मुख्य समस्या सघंर्ष की है वे अपने आप को परिवार व कार्यालय के अनुसार कैसे समायोजित करती है; जिसका प्रभाव परिवारिक सबंधों की अपेक्षित भूमिकाओ पर पड़ता है। कामकाजी महिलाएं आज भी आर्थिक रूप से पुरूषो से मुक्त नहीं है महिलाए अपनी परिवार की अर्थव्यवस्था मे योगदान करती है वे अपनी आय को अपनी इच्छानुसार व्यय करने के लिए स्वतत्र नहीं है।

"सामाजिक, नैतिक व मनोवैज्ञानिक आयामों में भी उनकी स्थिति पुरूषों के समान नहीं है। जिस प्रकार वह नौकरी करती है, घर का काम करती है, इन सबके प्रति उसकी निष्ठा उसके जीवन के स्वरूप के सन्दर्भ पर निर्भर करती है। समाज द्वारा उसका मूल्यांकन बिल्कुल अलग परिप्रेक्ष्य मे किया जाता है।"[6] महिलाओं के कामकाजी होने का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, पाश्चात्य देशों में औद्योगिक क्रान्ति के बाद इस प्रक्रिया में काफी तेजी आयी लेकिन भारत में यह प्रक्रिया अन्य देशो की तुलना में कुछ देरी से प्रारम्भ हुई। महिलाओं का कार्यक्षेत्र में प्रवेश, उनकी आर्थिक आवश्यकता, आधुनिकीकरण, शिक्षा, आर्थिक व्यवस्था, उपयोगी व उच्चतर जीवन स्तर अनेक कारणों से रहा होगा।

व्यवसायिक भूमिका और परम्परागत भूमिकाओं की एक साथ निभाना एक महिला के लिए प्राकृतिक व कृत्रिम रूप से बहुत कठिन हो जाता है। आज भी परिवार में अनेक कार्य व भूमिकाएं है, जिनके निर्वाह की पूरी जिम्मेदारी एक महिला की ही मानी जाती है। एक कार्यरत महिला के लिए दोनो क्षेत्रो में समायोजन करना बड़ी समस्या उत्पन्न कर देता है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. एन्यू विजयएट विमेन इन इण्डियन पोलिटिक्स, दिल्ली विकास, 1979, 142.
2. एलहंसा देवकीनन्दन सांख्यिकों के सिद्धान्त, प्रथम संस्करण, किताब महल, • इलाहाबाद, 1958.
3. आर्य डॉ. एस.पी. सामाजिक सर्वेक्षण की पद्धतियाँ, अष्टम् संस्करण, साहित्य भवन, हॉस्पीटल रोड, आगरा, 1982.
4. आनंद एन. वूमेन इन इंडियन सोसायटी, रावत पब्लिकेशन सत्यम अपार्टमेंट, सेक्टर नं. 3, जवाहर नगर, जयपुर, पृष्ठ 194.
5. अग्रवाल एवं पाण्डेय सामाजिक शोध, आगरा बुक स्टोर, पृष्ठ 17 1987,
6. अल्तेकर डॉ. ए.एस. द पोजीशन ऑफ वूमेन इन हिन्दू सिविलाइजेशन, बनारसीदास मोतीलाल पब्लिशर्स कंपनी, बनारस, 1956,